राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3013/2024

डॉ. सुनील सोनी —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) पंचायतीराज एवं पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शाहपुरा, जिला शाहपुरा।
5. डॉ. भागीरथ मीना, जिला प्रजनन शिशु एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शाहपुरा।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 02.01.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री मुनेश भारद्वाज, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा जारी आदेश दिनांक 06.11.2023 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दे रहा है, जिसके तहत खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कोटडी के आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रत्यर्थी संख्या 5 को जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, शाहपुरा के रूप में उनके प्रभार के अतिरिक्त दिया गया है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा जारी आदेश दिनांक 06.11.2023 (अनुलग्नक–2) को भी चुनौती दे रहा है, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 5 को बीसीएमओ कोटडी के आहरण एवं वितरण अधिकारी का प्रभार संभालने का निर्देश दिया गया। उक्त आदेश की पालना में प्रत्यर्थी संख्या–5 ने आदेश दिनांक 07.11.2023 (अनुलग्नक–3) द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी का चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन किया गया था और आदेश दिनांक 24.03.2015 द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आमा जिला भीलवाड़ा में नियुक्त किया गया। तत्पश्चात अपीलार्थी को आदेश दिनांक 02.10.2019 द्वारा खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कोटडी जिला भीलवाड़ा में नियुक्त किया गया। जब अपीलार्थी बीसीएमओ, कोटडी के पद पर पदस्थापित था, तो उसे कोविड के समय में राजनीतिक कारणों से आदेश दिनांक 08.05.2020 द्वारा पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया, जिसे उसने

माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 5589/2020 डॉ. सुनील सोनी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य दायर की, जिसमें 05.06.2020 (अनुलग्नक–4) को अंतरिम आदेश पारित किया गया। अंतरिम आदेश के बावजूद अपीलार्थी को अपने कर्तव्यों को संभालने की अनुमति नहीं दी गई। आदेश दिनांक 08.05.2020 पारित होने से पहले भी, जिसके द्वारा उन्हें एपीओ किया गया था, वे बीसीएमओ, कोटडी के पद पर कार्यरत थे, जो एक ऐसा पद है, जिसमें सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों के तहत आहरण एवं वितरण अधिकारी की शक्ति होती है। प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा जारी आदेश दिनांक 06.12.2007 (अनुलग्नक–5) द्वारा सरकार के वित्तीय नियमों के प्रयोजनार्थ खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को कार्यालय प्रमुख घोषित किया गया। अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा जारी किए गए आदेश दिनांक 06.11.2023 के जवाब में प्रत्यर्थी संख्या 3 से मार्गदर्शन मांगा है, ताकि उच्च न्यायालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 06.11.2023 के माध्यम से पारित अंतरिम आदेश को उसके संज्ञान में लाया जा सके (अनुलग्नक–6)। अपीलार्थी को बीसीएमओ, कोटडी में रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज करने से रोक दिया गया और प्रत्यर्थी संख्या 5 ने बीसीएमओ कोटडी का कार्यभार संभालने के बाद अपीलार्थी के नाम के सामने उपस्थिति रजिस्टर में लाल रेखा खींच दी और उसे अपनी उपस्थिति दर्ज करने की अनुमति नहीं दी गई इसलिए अपीलार्थी को नवंबर, 2023 से वेतन नहीं मिला है। अपीलार्थी ने दिनांक 18.01.2024 (अनुलग्नक–7) द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 5 को अपना वेतन जारी करने के लिए एक आवेदन दिया गया हालांकि उसने जानबूझकर आहरण और वितरण अधिकारी होने के नाते बिल तैयार नहीं किया। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के तहत प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा जारी आदेश दिनांक 06.11.2023 और उसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा जारी आदेश दिनांक 06.11.2023 और प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा दिनांक 07.11.2023 का आदेश कुछ और नहीं बल्कि अपीलार्थी का स्थानांतरण है क्योंकि आहरण एवं वितरण अधिकारी का प्रभार लेने के लिए अपीलार्थी की पोस्टिंग बदल दी गई। परिपत्र दिनांक 04.01.2023 के तहत 15.01.2023 से स्थानांतरण/पोस्टिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो आज तक जारी है जैसा कि परिपत्र दिनांक 03.01.2024 (अनुलग्नक–8) द्वारा स्पष्ट किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शाहपुरा ने आदेश दिनांक 03.06.2024 (अनुलग्नक–9) द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–5 को अपीलार्थी की आपत्तियों के संबंध में अपना उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। प्रत्यर्थी संख्या 5 ने आदेश दिनांक 03.06.2024 की पालना नहीं की इसलिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शाहपुरा द्वारा पुनः आदेश दिनांक 12.06.2024 (अनुलग्नक–10) जारी किया गया। उपरोक्त आदेश द्वारा यह माना गया कि प्रत्यर्थी संख्या 5 ने जानबूझकर वेतन का भुगतान न करके अपीलार्थी को परेशान किया है, इसलिए उसे वेतन का भुगतान

करने का निर्देश दिया गया और आगे यह भी निर्देश दिया गया कि वह अपना जवाब प्रस्तुत करे कि इतने लंबे समय से अपीलार्थी को वेतन का भुगतान क्यों नहीं किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शाहपुरा द्वारा निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं को दिनांक 06.08.2024 (अनुलग्नक–11) द्वारा पत्र लिखा गया था, जिसके माध्यम से ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कोटडी (शाहपुरा) के कार्यालय के सामान्य एवं वित्तीय कार्यों के अधिकार प्रदान करने की अनुशंसा की गई थी। इस अपील से पहले अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष एक अन्य अपील संख्या 165/2024 दायर की गई थी, लेकिन उसे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 5589/2020 के लंबित होने के आधार पर आदेश दिनांक 02.02.2024 (अनुलग्नक–12) द्वारा खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब उक्त याचिका का आदेश दिनांक 08.08.2024 (अनुलग्नक–13) द्वारा निपटारा कर दिया गया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.11.2023 (अनुलग्नक–1 एवं 2) एवं आदेश दिनांक 07.11.2023 (अनुलग्नक–3) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कोटडी (शाहपुरा) के कार्यालय के सामान्य और वित्तीय कार्यों के अधिकार सभी पारिणामिक लाभों के साथ प्रदान किये जावे। साथ ही नवंबर, 2023 के महीने से अपीलार्थी का वेतन 24 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ दिलवाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2023 द्वारा ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कोटड़ी का आहरण एवं वितरण अधिकारी केवल अपीलार्थी के विरुद्ध की गई शिकायतों के कारण प्रत्यर्थी संख्या 5 को दिया गया था, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा ने पत्र दिनांक 03.11.2023 (अनुलग्नक–आर/1) द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाहपुरा को डॉ. मनीष रुंडेला, डॉ. अजय सिंह कटवा, डॉ. योगेंद्र नागर को वेतन का भुगतान न करने के मामले में अपीलार्थी के आचरण के विरुद्ध जांच करने का निर्देश दिया, जिसके द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध वित्तीय प्रबंधन और धन के दुरुपयोग तथा अपीलार्थी के विरुद्ध बनाए गए बिलों की गलत तैयारी के आरोप के लिए मजबूत आरोप लगाए गए हैं। अपीलार्थी को चिकित्सा अधिकारी के रूप में चयनित किया गया था और आदेश दिनांक 24.3.2015 द्वारा पीएचसी आमा जिला भीलवाड़ा में नियुक्त किया गया था, उसके बाद उसे आदेश दिनांक 2.10.2019 द्वारा ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कोटडी जिला भीलवाड़ा के पद पर नियुक्त किया गया था। विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार अपीलार्थी को बीसीएमओ, कोटडी के पद पर कार्यभार सौंपा है। अपीलार्थी दिनांक 7.11.2023 से

मार्च 2024 तक जानबूझकर अनुपस्थित रहा, यहां तक कि प्रत्यर्थी संख्या 5 ने फोन पर अपीलार्थी को प्रभार सौंपने के लिए सूचित किया, लेकिन अपीलार्थी ने प्रभार नहीं सौंपा, इसलिए कार्यालय पत्र दिनांक 7.11.2023 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 5 ने अपीलार्थी का प्रभार ग्रहण कर लिया, अपीलार्थी दिनांक 07.11.2023 से 31.12.2023 तक लगातार अनुपस्थित रहा, जिसकी प्रति अनुलग्नक आर–2 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी दिनांक 07.11.2023 से स्वैच्छिक रूप से अनुपस्थित है, इसलिए नवंबर 2023 और उसके बाद के महीने मार्च 2024 तक का वेतन तैयार नहीं किया गया, यहाँ तक कि अपीलार्थी बिल और व्यय के अन्य विवरण प्रस्तुत करने के लिए कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ। आदेश दिनांक 06.11.2023, 07.11.2023 के स्थानांतरण आदेश नहीं हैं, अपीलार्थी जिला कलेक्टर के खिलाफ की गई शिकायत के आधार पर दिनांक 03.11.2023 के पत्र द्वारा अपीलार्थी से आहरण और वितरण अधिकारी का प्रभार लेने का निर्देश दिया गया है, वर्तमान मामले में परिपत्र दिनांक 04.01.2023 लागू नहीं होता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित रिट याचिका संख्या 5589/2020 में दिनांक 08.08.2024 के आदेश को पारित करने के संबंध में है, जिसके तहत माननीय उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी के संबंध में नए आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दी थी। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी को मार्च, 2024 से जून, 2024 तक वेतन देने की प्रक्रिया में है। आदेश दिनांक 18.07.2024 के अनुसार अपीलार्थी को उसके खिलाफ आरोप पत्र दिए जाने के कारण निलंबित कर दिया गया था। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर हाल ब्लॉक कोटडी, जिला शाहपुरा में पदस्थापित है। जहां तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी से आलोच्य आदेश दिनांक 06.11.2023 (अनुलग्नक–1 व 2) एवं दिनांक 07.11.2023 के द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का हस्तान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी को बिना स्थानान्तरण किये प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के अधिकारों का हस्तान्तरण किया गया है। इस अपील में दिनांक 30.09.2024 को अन्तरिम रूप से आदेश दिया था कि अपीलार्थी को नवम्बर, 2023 से आज दिनांक तक का वेतन भुगतान अपीलार्थी की उपस्थित का सत्यापन करते हुए नियमानुसार अविलम्ब किया जावे। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अधिकरण के आदेश के बाद भी अभी तक अपीलार्थी को वेतन भुगतान नहीं किया गया है। अपीलार्थी का गत एक वर्ष से वेतन भुगतान बकाया चल रहा है। प्रत्यर्थी विभाग का कथन है कि वेतन के भुगतान के लिए प्रत्यर्थी संख्या–5 भागीरथ मीना (मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कोटड़ी) ही

अधिकृत है। इनके द्वारा ही वेतन का भुगतान किया जायेगा परन्तु इनके द्वारा वेतन का भुगतान अधिकरण के आदेश के बावजूद भी नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में भागीरथ मीना को नियम 17 सीसीए के तहत आरोप पत्र दिये जाने के बावजूद डॉ. भागीरथ मीना ने वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया की अपीलार्थी की उपस्थिति नियमानुसार पृथक पंजिका में संधारित की जा रही है।

उक्त तथ्यों के आलोक में हम यह पाते है कि अपीलार्थी को नवम्बर, 2023 से वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। अधिकरण द्वारा जारी निर्देश एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बावजूद निजी प्रत्यर्थी संख्या–5, जिसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आहरण वितरण की शक्तियां प्रदान की हुई है, के द्वारा अपीलार्थी को वेतन भुगतान नहीं करना पद का दुरूपयोग एवं घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। प्रत्येक लोक सेवक को नियमित रूप से वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। अतः प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी की नवम्बर, 2023 से बकाया समस्त वेतन भत्तों का नियमानुसार एक माह में 6 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान किया जावे। ब्याज राशि की वसूली निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 से की जावे, जिन्होंने अधिकरण एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना कर अपीलार्थी को वेतन भुगतान नहीं किया। साथ ही इस स्थिति के दृष्टिगत आलौच्य आदेश दिनांक 06.11.2023 (अनुलग्नक–1 एवं 2) को अपास्त किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य